कार्यालय सहायक कलक्टर मुख्यालय नागौर

बेइजलास बृजेन्द्र मीना आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या 28/2014

प्रार्थी सरकार जरिये तहसीलदार मुण्डवा तहसील मुण्डवा

बनाम

अप्रार्थीगण जयकिशन पुत्र प्रभुराम जाति जाट (फौत) के कायम मुकामान

1/1 महावीर पुत्र जयकिशन

1/2 किशनाई पत्नी जयकिशन

1/3 सिंवरी पुत्री जयकिशन

1/4 शारदा पुत्री जयकिशन जाति जाट निवासी फिरोजपुरा चारणा तहसील मुण्डवा ।

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 177 श.काश्त.अधि. 1955

दिनांक 27.02.2019

आदेश

प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना– पत्र विरूद्व अप्रार्थी स्व. जयकिशन प्रस्तुत कर लिखा कि ग्राम कुचेरा के खसरा न. 3482/3172 रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा किस्ब बा. 2 में से 0.32 हैक्टेयर पर खातेदारी भूमि पर अवैध खनन करता हुआ हल्का पटवारी एवं भू. अभि. निटी. के द्वारा मौका पर्चा बनाकर प्रस्तुत किया, अप्रार्थी के बिना किसी सक्षम प्राधिकारी की वैध अनुमति एवं स्वीकृति के बिना खातेदारी कृषि भूमि पर अवैध खनन कर अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में लिया जा रहा हैं। अतः ग्राम कुचेरा के ख.न. 3482/3172 रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा में से 0.32 हैक्टेयर भूमि संलग्न नक्शा एवं मौका परचा के अनुसार खातेदार को उक्त उक्त भूमि से बेदखल कर कानूनी कार्यवाही करावें। प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थी जरिये नोटिस तलब किये गये।

अप्रार्थी की तरफ से जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी के तथ्यों का खण्डन किया एवं इस्तदुआ की कि अप्रार्थी ने अपने खातेदारी के खेत ख.न. 3482/3172 में किसी भी प्रकार से खनन कार्य नहीं कर रहा था, बल्कि अप्रार्थी ने अपने खेत में पानी का टांका बनाने के लिए खुदाई की थी, ताकि अप्रार्थी उक्त खेत में ढाणी बनाकर निवास कर सके एवं पानी का उपयोग पीने एवं पशुओं को पिलाने के काम ले सके। पटवारी हल्का एवं भू. अभि. निरी. में अप्रार्थी के विरूद्व गलत एवं निराधार रिर्पोट प्रस्तुत की हैं।

अप्रार्थी जयकिशन फौत हो जाने पर स्व. जयकिशन के कायुममुकाय को रेकार्ड पर लिये गये। प्रार्थी ने अपने प्रा.पत्र के समर्थन में पटवारी हल्का एवं भू.अधि.निरी. गण के बयान करवायें, अप्रार्थी वकील ने एक प्रा.पत्र अधीन आदेश 26 R9CPC का बाबत मौका कमिश्नर नियुक्त करने को प्रस्तुत किया जिस पर वाद सुनवाई तहसीलदार मुण्डवा को विवादित खेत का मौका देखने हेतु

मौका कमिश्नर नियुक्त किया, जो मौका रिपोर्ट दिनांक 05.02.2019 को प्राप्त हुई, जो शामिल पत्रावली हैं।

बहस बकुलाय सुनी गई, पत्रावली का अवलोकन किया गया भू. अभि. निरी. रूण ने अपने बयान में जिस जिरह में यह बताया की, यह कहना सही हैं कि खेत में खुदाई खनिज बेचने के लिये नही की थी तथा आगे यह स्वीकार किया की यह सही हैं कि उक्त व्यक्ति ने उस खुदाई किये की उसकी जांच हपने नहीं की थी।

तहसीलदार मुण्डवा ने अपनी मौका रिपोर्ट में यह अंकित किया की ग्राम कुचेरा के ख. न. 3482/3172 की मौके पर जाकर दिनांक 31.01.19 को भू.अभि.निरी. कुचेरा एवं हल्का पटवारी कुचेरा उपस्थिति में मौका रिपोर्ट बनाई। उक्त रिपोर्ट में यह अंकित किया की उक्त खसरे में मकान बना हुआ हैं तथा बिन्दु ए से बी धोरा, पानी व तारबंदी की हुई हैं। एवं जे. के. एल. एम. रकबा 2 बीघा पर वर्तमान में मिट्टी, ग्रेवल, मलबा, इत्यादि डालकर भूमि को समतल किया गया हैं तथा उक्त खसरे में कोई गड्ढा नहीं हैं तथा न ही खनन कार्य किया जा रहा हैं।

उपरोक्त विवेचन से भू.अभि.निरी. रूण के बयानों से एवं तहसीलदार मुण्डवा की मौका रिपोर्ट दिनांक 31.01.19 से प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 177 रा.का. अधिनियम का सारहीन एवं बलहीन हैं। अतः प्रार्थी का प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 177 रा. काश्त. अधिनियम का साबित नहीं होने से एवं सारहीन होने से प्रा.पत्र ड्रोप किया जाता हैं।

आदेश आज दिनांक 27.02.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (मु.)
नागौर